आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर

दिनांक : 09.06.2024 समय : 0705

<><><><><><><>

- श्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।

- आकाशवाणी से शाम छह बजकर पैंतालिस मिनट पर राष्ट्रपति भवन में आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा।

- मुख्य सचिव केशव चन्द्र ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ फरारगंज तहसील का दौरा कर किए जा रहे विभिन्न सड़क कार्यो का जायज़ा लिया।

- भारत सरकार द्वारा क्लीनिकल इस्टैब्लीशमेंट–पंजीकरण और विनियमन अधिनियम–दो हजार दस को लागू किया गया है।

<><><><><><><>

केंद्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन–एनडीए संसदीय दल के नेता नरेन्द्र मोदी को नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह आज शाम सात बजकर पन्द्रह मिनट से राष्ट्रपति भवन में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु श्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्री परिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। श्री मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था। राष्ट्रपति भवन के बाहर श्री मोदी ने कहा कि एन.डी.ए. सुदृढ, स्थिर और विकासोन्मुख सरकार का गठन करेगी। श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि लोगों ने एन. डी.ए. सरकार को एक और अवसर दिया है और यह अट्ठारहवीं लोकसभा नवीन और युवा ऊर्जा का स्रोत है। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार देश का तेज गति से विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। श्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए पडोसी देशों के विभिन्न नेताओं को आमंत्रित किया गया है। समारोह में भाग लेने के लिए नेता राजधानी पहुंचने लगे हैं।

<><><><><><><>

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज शाम निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नए केन्द्रीय मंत्री परिषद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। राष्ट्रपति भवन में आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह का आंखों देखा हाल आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से शाम छः बजकर पैंतालीस मिनट पर रिले किया जाएगा। जिस कारण आज शाम का प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सात बजकर पांच मिनट के स्थान पर शाम साढ़े छः बजे से सुना जा सकता

है। शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण दिल्ली के एफ.एम. गोल्ड, इंद्रप्रस्थ और आकाशवाणी लाइव न्यूज चैनल पर भी किया जायेगा। आकाशवाणी के यू–टयूब चैनल पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा।

<><><><><><><><>

मुख्य सचिव केशव चन्द्र ने लोक निर्माण विभाग आयुक्त नन्दिनी पालीवाल, सचिव पूर्वा गर्ग और मुख्य अभियन्ता के साथ फरारगंज तहसील में विभाग द्वारा किए जा रहे विभिन्न सड़क कार्यो का जायज़ा लिया। मुख्य सचिव ने मीठाखाड़ी, फरारगंज, बम्बूफ्लाट और होपटाउन में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ए. पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा बनाए गए सड़कों का निरीक्षण किया। विभाग के अभियन्ताओं ने सड़क के निर्माण में इस्तेमाल सामाग्रियों की गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण किए, जो संतोषजनक पाए गए। मुख्य सचिव ने कड़ाकाचांग से विम्बर्लीगंज, विम्बर्लीगंज से राइट–म्यो और चुना भटटा से नॉर्थ–बे सड़क के निर्माण कार्यों का भी जायज़ा लिया। मुख्य सचिव ने सड़क निर्माण के दौरान अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने लोगों की सुविधा और सौन्दर्य की दृष्टि से सड़क निर्माणों में सड़क डिज़ाइन सुविधाओं को शामिल करने को कहा। द्वीपों की जलवायु की स्थिति के आधार पर सी. आर. आर. आई. जैसी विशेषज्ञ एजेन्सी के परामर्श से सड़क का डिज़ाइन तैयार करने पर ज़ोर दिया गया, ताकि सड़के लम्बे समय तक टिके रहे।

<><><><><><><><>

भारत सरकार द्वारा क्लीनिकल इस्टैब्लीशमेंट–पंजीकरण और विनियमन अधिनियम–दो हजार दस को लागू किया गया है। इसके तहत सरकारी और निजी क्षेत्र में अस्पतालों, नर्सिंग होम, एकल चिकित्सक क्लीनिक, डाइग्नोस्टिक सेन्टर और अन्य सभी क्लीनिकल इस्टैबलीशमेंट के पंजीकरण और विनियमन का प्रावधान करना है। यह अधिनियम कर्मियों के विवरण सहित सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करता है, जो उनके द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य मरीजों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं में पारदर्शिता लाना है। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में झोलाछाप डॉक्टर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है, जिनके पास सुरक्षित और प्रभावी चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं होती है। इसके अलावा नकली दवाओं से मरीजों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह अधिनियम ज़िला पंजीकरण प्राधिकरण को प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में जुर्माना लगाने और बंद करने सहित कार्रवाई करने का अधिकार देता है। अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर पचास हजार रूपये से लेकर पांच लाख रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ज़िला पंजीकरण प्राधिकरण की ओर से जारी

विज्ञप्ति में आम जनता से अनुरोध किया गया है कि वे झोला छाप डॉक्टरों की जानकारी प्राधिकरण और प्रशासन के साथ साझा करें।

<><><><><><><>

दक्षिण अंडमान ज़िला प्रशासन ने अवैध रूप से मिट्टी काटने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो लोगों पर जुर्माना लगाया है। हाल ही में राजस्व अधिकारियों ने लघु खनिज नियम दो हजार बारह का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से मिट्टी काटने और परिवहन के लिए उपयोग में लाई गई एक ट्रक और दो मशीनों को ज़ब्त किया है। सीपीघाट निवासी कुणाल कुमार पॉल और पच्चीस अन्य लोगों के पक्ष में दर्ज भूमि से एक सौ घन मीटर मिट्टी निकाली गई और इसे सीपीघाट में ही दूसरी भूमि पर डाला गया। भूमि राजस्व और भूमि सुधार विनियमन के तहत उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई करते हुए एक लाख दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया। एक अन्य मामले में मिनी बे निवासी शशांक पुरिया को संबंधित अधिकारी की अनुमति के बिना नमूनाघर से एक सौ घन मीटर मिट्टी काटने के आरोप में चालीस हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त ने लोगों को अवैध खनन और इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल न होने की चेतावनी दी है।

<><><><><><><>

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय बैरागी और पार्टी के अन्य नेताओं ने लम्बा लाईन निवासी एस. मेरी के निधन पर शोक प्रकट किया है। इनका आज तड़के निधन हो गया। वे छिहत्तर वर्ष की थी।

<><><><><><><>

शिक्षा निदेशालय द्वारा प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के चार सौ तेरह पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदन पत्रों की जांच के बाद चयनित उम्मीदवारों की सूची दावे और आपत्तियां जमा करने के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उम्मीदवार बारह जून की मध्यरात्रि तक अपने पंजीकरण संख्या के साथ ऑनलाइन दावे और आपत्तियां विभाग की वेबसाइट पर जमा कर सकते हैं।

<><><><><><><>

राजीव गांधी जल क्रीड़ा परिसर में फ्लोटिंग जेट्टी और पन्टून में मरम्मत और रखरखाव का कार्य किया जाएगा। सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि पर्यटकों की सुविधा के लिए कल से अगले आदेश तक सभी आई वी जलयानों को अबरडीन जेट्टी के बजाय जंगलीघाट जेट्टी से संचालित किया जाएगा।

<><><><><><><>